**संख्या:795/2023/1462/35-4-2023/35-4099/521/2021**

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक : 14 सितम्बर,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

जनपद चन्दौली में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत शासनादेश संख्या-13/2022/35/35-4-2022,दिनांक 05 जनवरी, 2022, द्वारा स्वीकृत कार्य यथा-वि0ख0-बरहनी अन्तर्गत ग्राम सभा परेवा में अशोक सिंह के मशीन से दुर्गा मन्दिर होते हुये जेवरियाबाद-जमानिया-सैय्यदराजा रोड़ तक सड़क व रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य की रू0 301.40 लाख (12% जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 30.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-349/2022/1191/35-4-2022/001-35-4099/521/2021, दिनांक 26 सितम्बर,2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 120.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

2- जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा पत्र सं0-31/त्व0आ0वि0यो0/2021-22 , दिनांक 13 अप्रैल,2023, द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग किया जाना इंगित करने के साथ ही जी0एस0टी0 की दर में हुई बृद्धि की धनराशि रू0 12.95 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 163.65 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 150.70 लाख तथा जी0एस0टी0 की दर में हुई बृद्धि की धनराशि रू0 12.95 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 163.65 लाख (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

| कार्य | अनुमोदित लागत (12% जीएसटी सहित) | पुनरीक्षित लागत (18% जीएसटी के साथ) | पूर्व में अवमुक्त धनराशि | व्यय धनराशि | जीएसटी की दर में हुई बृद्धि की धनराशि | अवमुक्त हेतु कुल अवशेष धनराशि | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वि0ख0-बरहनी अन्तर्गत ग्राम सभा परेवा में अशोक सिंह के मशीन से दुर्गा मन्दिर होते हुये जेवरियाबाद-जमानिया-सैय्यदराजा रोड़ तक सड़क व रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य | 301.40 | 314.35 | 150.70 | 150.70 | 12.95 | 163.65 | 163.65 |

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 2022 तथा 26 सितम्बर, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

9- जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्वता का उत्तरदायित्व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का होगा।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत किये गये कार्य के लिए अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,63,65,000 (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-040- लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जे0एल0यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/795/2023/1462(1)/35-4-2023/35-4099/521/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, चन्दौली ।
14- संयुक्त निदेशक एस0टी0सी0 नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जे0एल0यादव
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।